



वि. सं. एन. डब्ल्यू./एम०. जी. 690

सांस्कृतिक सं० प्र० पी०-४१

संस्कृत एवं पारितोषिक सम्बन्धनस रक्ष

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 जुलाई, 1998

आषाढ़ 18, 1920 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1320/सत्रह-वि-1-1 (क) 19-1998

लखनऊ, 9 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 9 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम-संख्या 19 सन् 1998)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1998 कहा जायेगा।

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

“(2) (क) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारो होगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्ध ऐसी किसी प्रबन्ध कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को अस्तित्व में है, और ऐसी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों, पर भी लागू होंगे।

(ग) किसी प्रबन्ध कमेटी का, जिसने खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व अपने गठन के दिनांक से तीन वर्ष को अवधि पूरी कर ली है, और उसके निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगा।”

ब्रजलाल से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1320 (2)/XVII-V-1-1(KA)-19-1998
Dated Lucknow, July 9, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor/President on July 9, 1998.

✓ THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1998
(U. P. ACT NO. 19 OF 1998)
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1998.

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(2) (a) The term of every Committee of Management shall be three years, and the term of the elected members of the Committee of Management shall be co-terminus with the term of such Committee.

(b) The provisions of clause (a) shall apply also to a Committee of Management in existence on the date of the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1998 and to the elected members of such Committee.

(c) The term of a Committee of Management, which has completed, on or before the date of the commencement of the Act referred to in clause (b), the period of three years from the date of its constitution, and the term of its elected members, shall expire on such commencement.”

Short title

Amendment of section 29 of U. P. Act no. 11 of 1966

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Prमुख Sachiv.

सं० एस० यू० सी०—ए० सी० 57 सा० वि० 10--(718)--1998--850 (मे०क०)।